

## राजस्थान—सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राज0 जयपुर |  
क्रमांक.ई-12/एम/के.पा./( )पार्ट-11/09/

दिनांक:-

- 1—समस्त मुख्य चकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
2—समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

राजस्थान।

विषय:- श्री केशो राय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, बैंडी के रिवर्स डेपॉटेशन पर कार्यरत कर्मचारियों पेटक विभाग में कार्यमुक्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री केशो राय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, बैंडी के अधिकारी कर्मचारी जो कि आपके कार्यालय के अधिन चिकित्सा संस्थानों में वार्ड बौच के पद के विकल्प रिवर्स डेपॉटेशन पर कार्यरत है की प्रतिनियुक्त अधिन दिनांक 31.3.09 के पश्चात नहीं बढ़ाने का निर्णय वित्त (व्यय-4) एवं वित्त नियम विभाग द्वारा लिया गया है, जिसकी सूचना पूर्व में ही, निदेशालय के पत्रांक 1171 दिनांक 7.11.08 द्वारा आपको प्रेषित कर दी गई थी।

अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि आपके अधिन चिकित्सा संस्थानों में उक्त संवर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं, को दिनांक 31.3.09 तक आवश्यक रूप से पेटक विभाग हेतु कार्यमुक्त कर पालना चिकित्सा निदेशालय को भिजवावें, साथ ही प्रमाण पत्र भिजवायें, कि वर्तमान में आपके अधिन कोई भी कर्मचारी रिवर्स डेपॉटेशन पर कार्यरत नहीं है। निर्धारित अवधि के पश्चात यदि कोई कर्मचारी कार्यरत रहता है, तो विपरीत प्रभाव हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे साथ ही कर्मचारियों की सूचना के साथ हुये वित्त पदों एवं जिले में वार्ड बौच एवं स्वीपर / च०श्रोकर्म० कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूचना भी संस्थानुसार तेजार कर भिजवायें, ताकि रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सके।

\  
अति० निदेशक(प्रशासा)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राज0जयपुर।

दिनांक:- १६/११/२०१०

क्रमांक.ई-12/एम/के.पा./( 14 )पार्ट-11/09 / ३०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1— निजी सचिव, माठ चिकित्सा मंत्री महोदय, राज0 सरकार जयपुर।
- 2— निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0जयपुर।
- 3— निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारीता विभाग, राज0जयपुर।
- 4— उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(युप-3) विभाग, राज0जयपुर।
- 5— उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-4), राज0जयपुर।
- 6— उप शासन सचिव, वित्त (निधन), राज0जयपुर।
- 7— वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
- 8— विधि सलाहकार, मुख्यालय।
- 9— समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन- को भेजकर निर्दश है कि आपके अधीन जिलों में कार्यरत उक्त संवर्ग के कर्मचारियों को दिनांक 31.3.09 तक आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर पेटक विभाग में भिजवाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 10—रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, राज0जयपुर।
- 11— अवसायक, केशोराय पाटन सहकारी शुगर मील एवं संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, कोठा।
- 12— समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 13— प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय कमरा नं० 302 को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपडेट करने का श्रम करें।



अति० निदेशक(प्रशासा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,

राज0जयपुर।